न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **28/2023** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/51

नरेश पुत्र रतनलाल पालीवाल निवासीः साकरोदा, तहसील–मावली, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिलां उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसलीदार मावली प्रकरण संख्या 7/2023
दिनांक 09.06.2023

उपस्थित : श्री शंकरलाल पालीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 26/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 7/2023 आदेश दिनांक 09.06.2023 से नाराज होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम साकरोदा तहसील मावली में कतिपय व्यक्तियों द्वारा एक मिथ्या शिकायत अपीलार्थी का नाम लगाकर तहसीलदार मावली के समक्ष पेश की गई, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध एक प्रकरण तहसीलदार मावली द्वारा संस्थित कर आनन–फानन में अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा समय याचित करने पर आगामी पेशी दिनांक 09.06.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित थे परन्तु तहसीलदार साहब के महंगाई राहत कैंम्प मे व्यस्त होने का कथन करते हुए अपीलाण्ट को अगले दिन पेशी नोट करने हेतु कहा गया लेकिन आगामी कार्यदिवस पर निर्णय पारित होने की जानकारी दी गई। उक्त निर्णय विधि की सुस्थापित प्रक्रिया से परे है एवं उपस्थित होते हुए भी उपस्थिति अंकित नहीं की गई एवं मनमाफिक रूप से निर्णय पारित कर दिया गया। पटवारी ने जो रिपोर्ट पेश की है वह आराजी

जिला कलक्टर
उदयपुर

संख्या 1541 के संबंध में है एवं अतिक्रमित भूमि का रकबा 0.0025 हैक्टेयर बताया है लेकिन अभिलेख में 1541 का रकबा 0.5261 बताया गया है। ऐसे में यह आवश्यक था कि पटवार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक मौके का नक्शा संपूर्ण खसरा व अतिक्रमित खसरा बताए जाने वाले क्षेत्र को अलग–अलग दर्शाकर पेश करते लेकिन वास्तविकता में अपीलार्थी का कोई अवैध कब्जा नहीं था। इसी वजह से बंद दफ्तर में बनी रिपोर्ट को आधार बनाकर कार्यवाही की गई है जो कि अवैध कार्यवाही है। एक विधिसम्मत निर्णय में पक्षकारों के पूरे नाम पते, विवाद का संपूर्ण विवरण तथा साक्ष्य व अभिवचन का पूर्णतः विधि की दृष्टि में किया गया विश्लेषण एवं परिशीलन आवश्यक होता है जबकि आलौच्य निर्णय में पक्षकारों के पूर्ण नाम पते ही अंकित नहीं है जो यह स्पष्ट दर्शित करता है कि पत्रावली लिपिक के द्वारा चलाई गई है एवं तहसीलदार ने बिना अवलोकन किए हस्ताक्षर किए है। जिस जगह पर अपीलार्थी का अतिक्रमण बताया जा रहा है वह अतिक्रमण नहीं है बल्कि लोकरीति अनुसार एवं दस्तूरगवई के अनुसार स्थापित एक मान्यता है एवं इसी मान्यता के आधार पर जो मंदिर पूर्व में बना था उसी का जीर्णोद्धार ग्रामवासियों की मान्यता से किया जा रहा था लेकिन पूर्व में बने मन्दिर का जीर्णोद्धार करने को कतिपय ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर अतिक्रमण मानने की भारी गलती की गई है एवं आलौच्य निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि शिकायत करने वाले व्यक्तियों ने ही पूर्व में अतिक्रमण किया था जिसका अभिलेख पुलिस रिकार्ड में मौजूद है एवं इसकी साक्ष्य को पेश करने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया एवं सीधे ही ग्रामवासियों एवं राजनीतिक व्यक्तियों के दवाब के कारण आलौच्य निर्णय पारित कर दिया गया। औलाच्य निर्णय में यह कही अंकन नहीं है कि कार्यवाही करने से पूर्व मौका पर्चा बताया गया हो और ऐसा पर्चा मौका बनाते समय मौतबीरान के हस्ताक्षर लिए गए हों या अपीलार्थी के विरूद्ध किसी ने बयान दिये हो। ऐसा कोई नक्शा मौका बनाया ही नहीं गया है कि तथाकथित आराजी के किस हिस्से व पडौस को अतिक्रमण की संज्ञा दी गई है। प्रकरण में किसी प्रकार की मांग ही जारी नहीं की गई है तो पेनल्टी की मांग कायमी हेतु लेखाकार को पत्रावली भेजे जाने का अंकन विधिसम्मत नहीं है एवं पूर्व में टंकित निर्णय में विशिष्टियां भरते हुए कर्तव्यों की इतिश्री करना स्पष्ट है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो वह अपना सम्यक जवाब व दस्तावेज जो उसके पास उपलब्ध हैं, प्रस्तुत करता एवं ऐसे दस्तावेजों पर अपना न्यायिक मस्तिष्क आरोपित कर ही कोई आदेश प्रदान किया जा सकता था। एतदसंबंधित प्रश्नों का सार्थक अवलोकन किया जावे तो उक्त शिकायत

जिला कलक्टर
उदयपुर

जो कि तथाकथित व्यक्ति पृथ्वीचंद, बाबूलाल, प्रभुलाल, नारायण एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत की गई थी वह एक जनहित याचिका के रूप में गणना की जानी आवश्यक थी क्योंकि उसमें जनसामान्य का हित होना अंकित किया गया था। साथ ही इसमें कई अन्य लोगों का अतिक्रमण होना भी दर्शाया गया था। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी के लिए यह आवश्यक था कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 222/2020 बअवान जयंतीलाल बनाम राज्य में दिनांक 17.01.2020 को पारित आदेश में प्रदान व्यवस्था कि ऐसे प्रकरणों को इस हेतु गठित कमेटी के समक्ष रखा जावे इस संबंध में जांच की जाए एवं यदि इस प्रकार का कोई सारतत्व शिकायतों में पाया जावे तो इनका निस्तारण एक विस्तृत एवं बोलते हुए आदेश के माध्यम से किया जावे लेकिन इस न्यायिक दृष्टांत में वर्णित व्यवस्था का कोई पालन नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर आलौच्य आदेश अपास्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्रामवासीयान साकरोदा द्वारा उपखण्ड अधिकारी मावली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार मावली द्वारा धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार मावली द्वारा बिना रिकार्ड एवं मौके की स्थिति को विश्लेषण किये आदेश पारित किया गया है। दिनांक 30.05.2023 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अपीलार्थी का वकालत नामा पेश किया गया तथा समय याचित किया गया था, जो दिया जाकर आगामी पेशी दिनांक 09.06.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित हुआ किन्तु उक्त दिनांक को तहसील क्षेत्र में आयोजित महंगाई राहत कैम्प मे तहसीलदार व्यस्त होने के कारण न्यायालय नहीं लगने का कथन किया गया एवं आगामी कार्यदिवस पर पेशी नोट करने का निर्देश दिया गया, लेकिन आगामी कार्यदिवस पर निर्णय पारित होने की जानकारी दी गई। वास्तविकता में अपीलार्थी स्वयं का कोई कब्जा नहीं था। पूर्व में बने मंदिर का जीर्णोद्वार करने को कतिपय ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर अतिक्रमण मानने की भारी गलती की गई। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो वह अपना सम्यक जवाब व दस्तावेज जो उसके पास उपलब्ध है प्रस्तुत करता। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर आलौच्य आदेश अपास्त फरमाया जावें।

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 28/23 राजस्व
नरेश बनाम सरकार
GCMS No. 2023/51

उपस्थित अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। समस्त ग्रामवासीयान ग्राम साकरोदा द्वारा उपखण्ड अधिकारी मावली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार मावली द्वारा पटवारी हल्का साकरोदा की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये है। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट ने स्वीकार किया, कि राजस्व ग्राम साकरोदा के आराजी संख्या 1541 रकबा 0.0025 हैक्टेयर पर अपीलाण्ट का कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट का कब्जा नहीं है तो अपील प्रस्तुत करने के आधार सिद्ध करने में अधिवक्ता अपीलाण्ट असफल रहे है। यदि अपीलाण्ट का कब्जा नहीं है तो पारित निर्णय से वह किस प्रकार प्रभावित होता है यह भी स्पष्ट नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं तहसीलदार मावली द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार मावली को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,
उदयपुर